भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या –50/2024–25

तिथि	आदेश	कि गई कार्रवाई

28/01/25

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी पोटका के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान है:–

1. विक्रेता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता और क्रेता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही एक ही थाना के निवासी है, जिस थाना के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता :– संजय मार्डी, पिता–बादल मार्डी, जाति–संथाल, ग्राम–गौड़ग्राम, थाना–पोटका, अंचल–पोटका, जिला–पूर्वी सिंहभूम को मूल्य–1,00,000/–रूपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता :–अनील मार्डी, पिता–चैतन मार्डी, जाति–संथाल, ग्राम–गौड़ग्राम, थाना–पोटका, अंचल–पोटका, जिला–पूर्वी सिंहभूम के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
ग्वालकाटा	1457	217	416	8.5डी0

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
धालभूम, जमशेदपुर।

Digitally signed by GOUTAM KUMAR
Date: 2025.02.24 11:44:00 +05:30
Location: 10.93.19.105

Scanned with OKEN Scanner